[illegible] के [illegible] के कारण के [illegible] विवाद प्रस्ताव तैयार करे। विवाद प्रस्ताव तैयार करते समय सारे का नकी शजरा रखा जावे। पत्रावली डिक्री करी है। तहसीलदार चिड़ावा को तस्दीक जारी है। विपक्ष [illegible] विवाद प्रस्ताव पेश दिनांक 6-9-21 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

6/9/21 पत्रावली पेश हुई बकुलाम फरिकेन उपस्थित [illegible] अधिकारी आज दीगर कार्य से व्यस्त [illegible] पर है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आगामी दिनांक 9-9-21 को पेश हो।

9/9/21 पत्रावली पेश हुई बकुलाम फरिकेन उपस्थित [illegible] अधिकारी आज दीगर कार्य से व्यस्त है। प्रकरण पर है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आगामी दिनांक 6-9-21 को पेश हो।

6/9/21 पत्रावली पेश हुई बकुलाम फरिकेन उपस्थित [illegible] अधिकारी आज दीगर कार्य से व्यस्त [illegible] पर है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आगामी दिनांक 21-9-21 को पेश हो।

21/9/21 पत्रावली पेश हुई पत्रावली पर विवाद प्रस्ताव प्राप्त हुए। शामिल मिसल रहे। वकील पक्षकारान की आपसी सहमति से बाद वादी मुताबिक विवाद प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवाद प्रस्ताव के मुताबिक तहसीलदार चिड़ावा पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। विवाद प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाप्ता दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.12.23 14:50:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned with CamScanner